

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

 सं. 1046]
 नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 8, 2004/अग्रहायण 17, 1926

 No. 1046]
 NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 8, 2004/AGRAHAYANA 17, 1926

#### पोत परिवहन, सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2004

का.आ. 1341( अ) ---- केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना का नि.आ. 1181, तारीख 4 अप्रैल, 1957 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :---

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रमांक सं. 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	,	
"4	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3 (मुम्बई को राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 पर जंक्शन से 561.0 किमी. से 585.0 किमी. को छोड़कर), सं. 6 (अमरावती बाईपास 149.80 किमी. से 166.0 को छोड़कर) सं. 9, सं. 13, सं.17, सं. 69, और सं. 222 के महाराष्ट्र राज्य के भीतर स्थित भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 50 [12.190 किमी. से 42.000 किमी. (पुणे नासिक सेक्शन) को छोड़कर], सं. 204 और सं. 211	महाराष्ट्र राज्य सरकार।'';		•

[फा. सं. एन.एच.~14012/13/2004-पी एण्ड एम]

आलोक रावत, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.नि.आ. 1181, तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन का.आ. 571(अ), तारीख 13 मई, 2004 द्वारा किया गया। 2

# MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## (Department of Road Transport and Highways)

### NOTIFICATION

### New Delhi, the 8th December, 2004

S.O. 1341(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Transport, number S.R.O. 1181, dated the 4th April, 1957, namely :—

In the Schedule to said notification, for serial number 4 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :---

J	2	3
4	So much of National Highway No. 3 (excluding from Km. 561.0 to Km. 585.0 from Junction with NH 4 to Mumbai), No. 6 (excluding from Km. 149.80 to Km. 166.0 Amravati bypass), No. 9, No. 13, No. 17, No. 69 and No. 222 as are situated within the State of Maharashtra and National Highway No. 50 [excluding from Km. 12.190 to Km. 42.000 (Pune-Nasik section)], No. 204 and No. 211.	State Govt. of Maharashtra.";

[F. No. NH-14012/13/2004-P & M]

ALOK RAWAT, Jt. Seev.

Foot Note: The principal notification was published in the Gazette of India vide S.R.O. 1181, dated the 4th April, 1957 and last amended vide S.O. 571(E), dated the 13th May, 2004.

Printed by the Manager, Govl. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.